नम्बर व त
अहकाम
हुक्म की
में जारी

फर्द अहकाम

अदालत .....(हिम्मत सिंह) उपखण्ड अधिकारी............ मुकाम ....राजगढ जिला चूरू ....

..............................ओमप्रकाश...............................बनाम ....सरकार...............................

किस्म मुकदमा ....नम्बर ......436.................................सन् ....2018................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुक्म
-8-19	आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट का प्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी भीमसाना तहसील राजगढ़ जिला चुरु का इस आषय का पेश किया कि कृषि भूमि खाता संख्या 45 खसरा संख्या 221 तादादी 4.9700 हैक्टेयर, खसरा संख्या 424 तादादी 2.0400 हैक्टेयर, खसरा संख्या 567 तादादी 5.000 हैक्टेयर, खसरा संख्या 612 तादादी 0.2000 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल तादादी 12.2100 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम भीमसाना पटवार हल्का भीमसाना तहसील राजगढ़ जिला चूरु में स्थित है। रेवन्यू रेकार्ड में जिसमें प्रार्थी 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। रेवन्यू रेकार्ड में प्रार्थी का नाम प्रकाश दर्ज है जो भूल वंश लिख दिया गया जबकि प्रार्थी की नाम मतदाता पहचान पत्र राशन कार्ड, आधार काड़ आदि प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेज में नाम ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल दर्ज है। अवलोकन किया। दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेकार्ड व प्रार्थना पत्र का अवलोकन के बाद प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पुष्टि होनी पाई जाती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेष दिया जाता है कि ग्राम रोही भीमसाना के खाता संख्या 45 खसरा संख्या 221 तादादी 4.9700 हैक्टेयर, खसरा संख्या 424 तादादी 2.0400 हैक्टेयर, खसरा संख्या 567 तादादी 5.000 हैक्टेयर, खसरा संख्या 612 तादादी 0.2000 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल तादादी 12.2100 हैक्टेयर वाके रोही भीमसाना पटवार हल्का भीमसाना तहसील राजगढ़ जिला चूरु में दर्ज नाम प्रकाश पुत्र रामजीलाल के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल शुद्ध किया जावे। तद्नुसार दुरस्ती हेतु तहसीलदार राजगढ को लिखा जाकर पालना करवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)